

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ. ए-3-5-2011-1-पांच (50).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल पर, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

सारणी

माल का नाम (1)	कालावधि (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें (3)
कोयला (कोल)	एस्सार पॉवर एम. पी. लिमिटेड, बैदून को कोयले के प्रथम विक्रय की तारीख से 7 वर्ष.	<ol style="list-style-type: none">जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय महान कोल लिमिटेड (एस्सार पॉवर एम. पी. लिमिटेड, बैदून द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उपक्रम की कंपनी) द्वारा उसकी नियंत्रक कंपनी एस्सार पॉवर एमपी लिमिटेड, बैदून को कैप्टिव उपभोग हेतु किया जाए.नियंत्रक कंपनी कोयले के क्रय पर आगत कर रिबेट का दावा नहीं करेगी या ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ-ए-3-5-2011-1-पांच(50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-5-2011-1-पांच(50), दिनांक 13 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th May 2011

F. No. A-3-5-2011-1-V(50).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, notifies that no tax shall be levied on the goods specified in column (1) of the Table below for the period specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Name of goods (v)	Period (w)	Restrictions and conditions (x)
Coal	7 years form the date of first sale of coal to Essar Power MP Limited, Waidhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. When the goods specified in column (1) are sold by Mahan Coal Limited (a joint venture Company promoted by Essar Power MP Limited, Waidhan) to its holding company Essar Power MP Limited, Waidhan for Captive Consumption. 2. The holding company shall not claim or be allowed input tax rebate on the purchase of coal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.